(सूची-14 फर्म र०-562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम- 126)

आदेश – पत्रक- ता०

जिला – गढवा निरिक्षा वाद सं०- 15/2020-2021. से तक ।

केश का प्रकार– चल रहे मांग को स्थगित करने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
1.9.2020	आवेदक श्री राजेश महतो पिता रामवृक्ष महतो ग्राम टण्डवा के द्वारा ग्राम टण्डवा थाना संख्या 338 खाता संख्या 61 प्लॉट 250 रकबा 0.10 एकड का मांग पंजी ॥ के पृष्ट संख्या 46/9 पर मांगधारी जगती देवी पति रामवृक्ष महतो के नाम से चल रहे मांग का भूमि मांग धारण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है। जिसके आलोक मे राजस्व उप निरीक्षक, अमीन एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। राजस्व उप निरीक्षक, अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया है। समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कि ग्राम टण्डवा थाना संख्या 338 खाता संख्या 61 प्लॉट 250 रकबा 0.10 एकड का मांग जगती देवी पति रामवृक्ष महतो के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ट संख्या 46/9 पर मांग चलता है। जिसका मांग का आधार कॉलम खाली है। प्राधिकार कॉलम में मांग खुलने का आधार दर्ज नही है। आवेदक श्री राजेश महतो पिता रामवृक्ष महतो को नोटिश कर पृष्ट संख्या– 46/9 के पुराने लगान रसीद एवं पुरानी पंजी के पृष्ट संख्या 92/2 पर निर्गत लगान रसीदों की प्रति की मांग करें। 1.9.2020 अंचल अधिकारी गढवा।	
9.9.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री राजेश महतो पिता रामवृक्ष महतो द्वारा मांग पंजी ॥ के पृष्ट संख्या 46/9 का वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2016–17 का दो लगान रसीद (...) तथा केवाला का नकल का छाया प्रति उपलब्ध कराया गया है। परन्तु पुरानी पंजी के पृष्ट संख्या 92/2 का लगान रसीद उपलब्ध नहीं कराया गया है। मांग पंजी ॥ के पृष्ट संख्या 46/9 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि	

Scanned with CamScanner

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा मांग पंजी II में बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश एवं बिना किसी नामांतरण के मांग पंजी II में प्रविष्टि किया गया है। जो कि पूर्णतः अवैध है।

अतः ग्राम टण्डवा पृष्ट संख्या 46/9 पर खाता संख्या 61 प्लॉट 250 एवं अन्य रकबा 5.89 एकड की प्रविष्टि को स्थगित किया जाता है, तथा आवेदित भूमि का भूमि धारण प्रमाण पत्र आवेदन को खारिज किया जाता है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख सुधार उप समाहर्त्ता, गढवा को भेजें। अवैध मांग को खारिज करने की अनुशंसा की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गढवा।

अंचल अधिकारी
गढवा।

आदेश की प्रति पाया
31.3.20

ज्ञापांक- 769 दिनांक- 12/09/2020

प्रतिलिपि :- राजस्व उप निरीक्षक, हल्का सं० 1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/2020

अंचल अधिकारी,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner